समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145

जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : सी0ए0/एग्रो/ दिनॉक : , 2024

नीलामी सूचना

समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर पर चालू वर्ष–2024 में लीची फसल की बिक्री दिनांक 13.05.2024 के अपराह्न 2.30 बजे खुली बोली के माध्यम से की जायेगी।

विभाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	फलत पेड़ों की सं0 एवं क्षेत्रफल (एकड़ में)
समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर	ई 1 एंव ई 2	लीची 15 पेड़

नीलामी की शर्ते :–

1. बाग का ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार दिनांक 13.05.2024 को परियोजना स्थल पर प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक नकद धनराशि रू0 2000/– जमा करके नीलामी में भाग ले सकते हैं।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भॅाति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 2000/– को छोड़कर अन्य सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली की समस्त धनराशि अपने स्वयं के खाते से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या नकद ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को कुल धनराशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा। इस धनराशि में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 2000/– को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता हैं, तो नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 2000/– को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को उक्त की सूचना डाक द्वारा दी जायेगी। सूचना जारी होने के दिनॉक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व, जो भी पहले हो, उच्चतम धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि केंद्र के कार्यालय में जमा करनी होगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा रू0 2000/– को समायोजित नहीं की जायेगी। यदि ठेकेदार निश्चित दिनांक तक 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता हैं तो वह 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ अगले 15 दिन तक धनराशि जमा कर सकता है। यदि फिर भी ठेकेदार 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है, तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा पूर्व मे जमा की गयी धनराशि (रू0 2000+40 प्रतिशत) को जब्त कर लिया जायेगा।
8. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से नकद जमा करनी होगी। ठेका समाप्ति पर नियमानुसार उक्त धनराशि ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। यदि ठेकेदार बाग का कब्जा लेने से पूर्व तक 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि जमा नहीं करता है। तो 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना होगा।

9. ठेकेदार को शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पहले जमा करनी होगी। इसमें पूर्व में जमा रू0 2000/— को समायोजित कर लिया जायेगा।
10. नीलामी की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को किसी अन्य फसल से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
11. बोली स्वीकृति होने के पश्चात बोलीदाता को विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 100/— के (स्वयं के व्यय पर) नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध करना होगा।
12. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केन्द्र या विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति आदि को क्षति पहुचानें की दशा में क्षति पूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।
13. बाग की सफाई, रखवाली, ठेकेदार द्वारा फल तुड़ाई आदि कार्यो ठेकेदार को स्वयं कराने होगे।
14. ठेकेदार द्वारा पके फल ही तोडे जायेगे, पेडों की टहनियो को नहीं तोड़ा जायेगा।
15. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद में माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा।
16. लीची बाग के ठेके की अवधि दिनॉक 15.07.2024 तक होगी।

R. Singh

(परियोजना समन्वयक)
समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना